

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/6601/

जबलपुर, दिनांक 16/10/2025

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर में पदस्थ कर्मचारियों को अनाधिकृत रूप से अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित रहने के कारण एवं आकस्मिक अवकाश खाते में पात्रता निरंक होने के कारण कॉलम नं. 3 में उल्लेखित दिनाकों का अवैतनिक किया जाता है।

क्रं.	कर्मचारियों का नाम एवं पदनाम	दिनांक
1	2	3
1	श्री नारायण सिंह, कोर्ट अटेंडेन्ट	दि. 19.09.2025, 20.09.2025, 22.09.2025 (3 दिन)
2	श्री अशोक कुमार बाल्मिक, कोर्ट अटेंडेन्ट	दि. 02.09.2025, 03.09.2025, 18.09.2025, 23.09.2025 (4 दिन)
3	श्री अमन परौची, कोर्ट अटेंडेन्ट	दि. 25.08.2025, 10.09.2025, 25.09.2025, (3 दिन)
4	श्री जे. आंजनेयलु, कोर्ट अटेंडेन्ट,	दि. 03.09.2025, 22.09.2025, 25.09.2025 (3 दिन)
5	श्रीमती नीता मलिक, नवगठित सेवा के सदस्य	दि. 25.08.2025, 26.08.2025, 27.08.2025, 02.09.2025, 03.09.2025, 04.09.2025, 05.09.2025, 06.09.2025, 20.09.2025 (9 दिन)


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

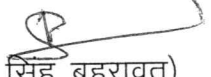
पृष्ठांकन क्रमांक C/6602/

जबलपुर, दिनांक 16/10/2025

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (प्रशा.), उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
3. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,

4. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
 5. श्री नारायण सिंह, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
 6. श्री अशोक कुमार बाल्मिक, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
 7. श्री अमन परौची, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
 8. श्री जे. आंजनेयलु, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
 9. श्रीमती नीता मलिक, नवगठित सेवा के सदस्य, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)
२५.